मूल्य 1 रुपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 69 अप्रैल, 2024 अंक 04 कुल पृष्ठ 6

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में 16वें वित्त आयोग की भूमिका

- टी नंदा कुमार, पूर्व खाद्य एवं कृषि सचिव-भारत सरकार, प्रेसिडेंट- भारत कृषक समाज

16वें वित्त आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। डॉ. अरविंद पानगड़िया इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। वित्त आयोग के कार्य क्षेत्र (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) इस प्रकार हैंः-

i. करों से जमा होने वाली कुल राशि का केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा, जिसे संविधान के चैप्टर 1, पार्ट 12 के तहत विभाजित किया जा सकता है अथवा किया जाना है, साथ ही इस राशि में राज्यों का हिस्सा तय करना।

ii. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ़ इंडिया में राज्यों के राजस्व में ग्रांट इन एड निर्धारित करने के सिद्धांत क्या होंगे और संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को उनके राजस्व में ग्रांट इन एड के रूप में दी जाने वाली राशि क्या होगी, यह राशि इस अनुच्छेद के क्लॉज़ 1 में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए है।

iii. राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वहां की पंचायतों और नगर निगमों के संसाधनों के लिए राज्य के कंसोलिडेटेड फंड में कैसे वृद्धि की जाए।

वित्त आयोग के लिए जो कार्य क्षेत्र तय किए गए हैं, वह वही हैं जो संविधान के अनुच्छेद 280 में बताए गए हैं। 15वें वित्त आयोग के कार्य क्षेत्र के विपरीत 15वें आयोग की अधिसूचना में विवाद वाले संदर्भों को दूर रखा गया है। इससे आयोग को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को हासिल करने के लिए संसाधन आवंटित करने में आसानी हो सकती है। पूर्व के वित्त आयोगों ने गरीबी, आबादी और भौगोलिक क्षेत्र को प्रमुख बेंचमार्क के तौर पर माना था। 15वें वित्त आयोग ने वन और पारिस्थितिकी को 10% वेटेज दिया था।

13वें वित्त आयोग ने जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों का विशेष उल्लेख किया था। उसने कहा था कि विभिन्न सेक्टर के बीच और एक सेक्टर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पानी का अविवेकपूर्ण वितरण, पानी के इस्तेमाल की कम एफिशिएंसी, जल संसाधन की प्लानिंग और उनके विकास के प्रति खंडित नजरिया, पानी के इस्तेमाल के बदले कम यूजर चार्ज और बहुत कम रिकवरी देश में जल संसाधनों के प्रबंधन की प्रमुख समस्याओं में हैं। राज्यों के स्तर पर एक वैधानिक स्वायत्त संस्था का गठन इन मुद्दों के समाधान में मदद कर सकता है।

हमारा सुझाव है कि हर राज्य में एक जल नियामक प्राधिकरण (वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी) का गठन किया जाए और पानी के लिए रिकवरी का एक न्यूनतम शुल्क तय किया जाए। इस प्रस्तावित नियामक प्राधिकरण को निम्नलिखित कार्यों का जमा दिया जा सकता हैः-

i) घरेलू, कृषि, उद्योग तथा अन्य कार्यों में इस्तेमाल होने वाले पानी का एक टैरिफ सिस्टम और शुल्क तय किया जाए और उसका नियमन किया जाए।

ii) विभिन्न श्रेणियों में और एक श्रेणी के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले इस्तेमाल में पानी के वितरण की पात्रता तय करना और उसे रेगुलेट करना।

iii) जल क्षेत्र की लागत और राजस्व की समय-समय पर समीक्षा तथा इसकी मॉनिटरिंग करना।

आयोग ने इस उद्देश्य के लिए 5000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हालांकि इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा और ना ही आगे चलकर उस दिशा में कोई प्रयास हुआ। जो भी हो, पानी उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों में सबसे प्रमुख है।

प्राकृतिक संसाधनों, खासकर मिट्टी और पानी का जिस तेजी से क्षरण हो रहा है, वह गंभीर चिंता का विषय है। देश के अनेक हिस्सों में नीति निर्माता इसे लेकर चिंतित हैं तो किसान भी कृषि के भविष्य को लेकर पसोपेश में हैं। वे इस बात को समझते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से वे ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए राज्य के स्तर पर बड़े नीतिगत कदमों की जरूरत है।

ऐसा करने में भारत की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं कभी ख्याल रखा जाना चाहिए, जिनमें प्रमुख हैंः-

- ➢ वर्ष 2027 तक एक करोड़ हेक्टेयर जमीन में प्राकृतिक खेती शुरू करना।
- ➢ वर्ष 2030 तक खराब हो चुकी 2.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन को सुधार कर खेती योग्य बनाना (यूएनसीसीडी कॉप 2019) ।
- ➢ वर्ष 2024 तक 41 लाख हेक्टेयर

भूमि पर फसल अपशिष्ट प्रबंधन शुरू करना (आउटकम बजट 2023-24)

➢ भारत के 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वनों का विस्तार करना और पेड़-पौधे लगाना (एनएपीसीसी 2008)।

➢ वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का इंतजाम करना (यूएनएफसीसीसी 2015) ।

➢ वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करना।

राज्यों को अतिरिक्त संसाधनों के आवंटन के बगैर इन लक्ष्यों को हासिल करना मुमकिन नहीं है। वित्त आयोग प्राकृतिक संसाधनों के सतत संरक्षण के लिए राज्यों को संसाधन आवंटित करने में एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। वित्त आयोग पानी और मिट्टी जैसे संसाधनों का क्षरण करने वाले राज्यों को दंडित करे अथवा नहीं, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो राज्य कृषि पारिस्थितिकी, पानी, नमी और मृदा संरक्षण को विभिन्न योजनाओं, नीतिगत पहल और सिविल सोसाइटी के प्रयासों से बढ़ावा देंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसके मानदंड और डिजाइन तैयार करने का जिम्मा आयोग पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। कहा जा सकता है कि वित्त आयोग की गणनाओं में कृषि पारिस्थितिकी के साथ प्राकृतिक संसाधनों और वनों का संरक्षण को ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए।

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

डॉ.एम.एस. स्वामीनाथन का सदा ऋणी रहेगा कृषक समाज

- डॉ. आर एस परोड़ा, पद्मभूषण से सम्मानित लेखक आईसीएआर के पूर्व डीजी और डेयर के पूर्व सचिव हैं

पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में हरित क्रांति के जनक डॉ.एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। कृषि वैज्ञानिक समुदाय ने इसका सहर्ष स्वागत किया। डॉ. स्वामीनाथन को किसानों का वैज्ञानिक कहकर संबोधित करना भी सर्वथा उचित है, क्योंकि वे आजीवन कृषक समुदाय के कल्याण के लिए काम करते रहे। वे संभवतः एकमात्र गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्हें सभी प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कारों से नवाजा गया- पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्मविभूषण। उनके बेहतरीन नेतृत्व और अमूल्य योगदान का ही नतीजा है कि आज भारत पूरी दुनिया में

गर्व से सिर उठाकर खड़ा है। यह सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद खाद्यान्न की घरेलू जरूरत को पूरा करने में सक्षम है।

आज हम दुनिया में एक प्रमुख खाद्य निर्यातक देश बन गए हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली को मजबूत बनाना, पुनर्गठित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पहले महानिदेशक की भूमिका निभाना, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्य करना, कृषि अनुसंधान सेवा की शुरुआत करना तथा ऐसे अनेक सुधार कार्य हैं जिन्हें डॉ.स्वामीनाथन के योगदान के रूप में याद किया जाएगा। वे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिकों में शुमार किए जाते हैं।

डॉ. स्वामीनाथन को 1987 में पहला वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। सामुदायिक नेतृत्व के लिए उन्हें 1971 में मैगसेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्हें 1987 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड, 1994 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, 1994 में ही यूएनईपी सासाकावा एनवायरमेंट पुरस्कार, 1999 में यूनेस्को गांधी गोल्ड मेडल तथा अन्य अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वे इंडियन साइंस कांग्रेस के प्रेसिडेंट के साथ खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) काउंसिल के चेयरमैन भी थे। वे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) के महानिदेशक पद पर भी रहे और चेन्नई स्थित एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। अपने जीवन काल में उन्होंने जो सम्मान हासिल किया वह उनके अमूल्य योगदान की गवाही देता है। ये सम्मान कृषि और ग्रामीण विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं।

उनके जाने से जो स्थान रिक्त हुआ उसे भर पाना बहुत मुश्किल है। वे दूरद्रष्टा होने के साथ महान व्यक्तित्व के भी मालिक थे। और सबसे बड़ी बात किसान आयोग के अध्यक्ष के तौर पर उनकी सिफारिशों के कारण उनका पूरे देश में सम्मान किया जाता है। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए किसान की लागत और 50% राशि (सी2 प्लस 50%) की सिफारिश की थी। किसानों और भारतीय कृषि के प्रति उनके प्रेम के कारण पूरा कृषक समुदाय उनका कृतज्ञ है।

समस्त कृषि वैज्ञानिक समुदाय इस बात से प्रसन्न है कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में डॉ. स्वामीनाथन के योगदान को स्वीकार करते हुए उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न दिया गया। उनके जीवित रहते अगर यह सम्मान दिया जाता तो बेहतर होता।

डॉ. स्वामीनाथन एक महानायक, महान द्रष्टा, नीति निर्माता और बेहतरीन व्यक्ति थे। वे भारत के महान सपूत थे। अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान सेवा (एआरएस) गठित करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका

थी। इसकी वजह से देश के हर कोने में कृषि वैज्ञानिकों को अनुसंधान में मदद मिली। देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में उनका योगदान अमूल्य है। उन्होंने बौने गेहूं की वैरायटी विकसित की जिसके कारण देश में खाद्यान्न उत्पादन जो 1950 में 5 करोड़ टन था, अब 33 करोड़ टन पहुंच गया है। इसलिए भारत आयातक देश से निर्यातक देश बन सका।

वैज्ञानिक खोजों और उन्हें धरातल पर लागू करने के बीच अंतर को पाटने की उनकी प्रतिबद्धता का नतीजा लैब टू लैंड प्रोग्राम है। इस पहल के तहत कृषि टेक्नोलॉजी सीधे किसानों को हस्तांतरित की जाती है, ताकि अनुसंधान का लाभ हमारे खेतों में मेहनत करने वालों को तक पहुंचे। अपने पूरे विशिष्ट करियर में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि क्षेत्र को अनेक योगदान दिया।

प्रो. स्वामीनाथन का प्रभाव और नेतृत्व भारत की सीमा के बाहर भी था। वर्ष 1982 से 1988 तक फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के तौर पर उन्होंने इस संस्थान को आगे बढ़ने की दिशा दी, जिसका पूरी दुनिया के चावल उत्पादक क्षेत्र को लाभ हुआ। वे पगवॉश कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के प्रेसिडेंट भी रहे। वर्ष 1999 में वे महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर के साथ तीसरे भारतीय थे जिन्हें टाइम मैगजीन ने 20वीं सदी में एशिया के बीच सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में रखा था।

कृषक समुदाय के कल्याण के लिए उन्होंने आजीवन अथक प्रयास किया। किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सरकार को राष्ट्रीय किसान कल्याण नीति लाने पर राजी किया और किसानों को बतौर एमएसपी लागत और 50% राशि (सी2 प्लस 50%) देने की सिफारिश की। इसके लिए कृषक समुदाय में उनका काफी सम्मान किया जाता है। उम्मीद है कि एक राष्ट्रीय किसान कल्याण नीति के उनके सपने को संसद में यथाशीघ्र मंजूरी मिल जाएगी।

प्रासंगिकता के साथ उत्कृष्टता, जोश के साथ कठिन परिश्रम, समाज के लिए विज्ञान, विनम्रता के साथ गुणवत्ता, यह सब उनके पूरे जीवन काल की अमूल्य सीख हैं। मेरा मानना है कि उनकी उपलब्धियां युवा पीढ़ी को भारतीय कृषि को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती रहेंगी।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक सदस्यता शुल्क 01 अप्रैल 2024 से निम्नानुसार लागू होगा: साधारण सदस्य ₹100.00, कॉर्पोरेट सदस्य ₹10,000, संस्थागत सदस्य ₹1,000.00। सदस्यों के सुविधा के लिए संविधान कि प्रति पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध है।

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2024-26
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं. U(C)-92/2024-26

प्रकाशन की तिथि : 1 अप्रैल, 2024
एल.पी.सी., दिल्ली आर.एम.एस, दिल्ली–6,
तारीख 4 एवं 5, अप्रैल 2024

सार्वजनिक सूचना

भारत कृषक समाज के सदस्यों से अनुरोध है कि वे भारत कृषक समाज के महासचिव के कार्यालय के साथ अपने संपर्क विवरण को अद्यतन करें।

संपर्क विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता हैः

नामः ____________________

सदस्यता संख्याः ____________________

वर्तमान पताः ____________________

____

टेलीफोन नंबरः ____________________

मोबाइल नंबरः ____________________

ईमेलः ____________________

(कृपया पते का सबूत की एक छायाप्रति संलग्न करें)

विधिवत भरा हुआ फॉर्म निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट या ईमेल द्वारा इस माह के अन्त तक या उससे पहले जमा कराएं**:**

महासचिव
भारत कृषक समाज
ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली, 110013
ईमेलः– Samdarshi.bks@gmail.com
टेलीफोनः– 011–41402278

नोटः आपसे अनुरोध है कि आप अन्य सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए सूचित करे।

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–41402278, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, **वैबसाईटः** www.bks.org.in **के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।**